प्रेषक,

सदस्य सचिव,
स्टेट आयुष मिशन सोसायटी,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः10650-55 /पी0एम0यू0 11 दिनांकः31 जनवरी, 2026

विषयः राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के मर्म चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन के निर्देशों के क्रम में आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों में तैनात 52 आयुर्वेदिक सी0एच0ओ0/चिकित्साधिकारियों **(सूची संलग्न)** को मर्म चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में दिनांक 13.02.2026 एवं दिनांक 14.02.2026 के मध्य मर्म चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण ***द सालवुड– फॉरेस्ट रिट्रीट, विलेज गल्जवाडी निकट बिष्ट गांव, देहरादून में*** आयोजित कराया जा रहा है, जिसमें उक्त चिकित्साधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे तथा प्रशिक्षण के उपरान्त चिकित्साधिकारियों का मूल्यांकन भी किया जायेगा।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 13–14 फरवरी, 2026 के मध्य आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में (संलग्न निर्देशों के अनुसार) नामित चिकित्साधिकारियों को प्रतिभाग किये जाने हेतु निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

31/01

(डा0 विजय कुमार जोगदण्डे)
सदस्य सचिव
स्टेट आयुष मिशन सोसायटी
उत्तराखण्ड।

सख्या– तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सदस्य सचिव, आयुष मिशन सोसायटी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रशिक्षण मद से उक्त कार्यशाला का आयोजन कराये जाने का कष्ट करेंगे।
3. सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रशिक्षण/कार्यशाला में प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित करें।
4. श्री पंकज पालीवाल, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यशाला में प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाईल।

(डा0 विजय कुमार जोगदण्डे)
सदस्य सचिव

प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन किया जाना आवश्यक है:-

1. कार्यक्रम में केवल संलग्न सूची में चिन्हित चिकित्साधिकारी ही प्रतिभाग करेंगे।
2. कार्यक्रम पूर्ण रूप से रेजीडेंसियल होगा। अतः प्रशिक्षण स्थल पर ही प्रतिभागियों के रात्रि विश्राम व भोजन की व्यवस्था की गयी है।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 13.02.2026 को प्रातः 09:30 बजे प्रारम्भ होगा। अतः उपरोक्त समस्त चिकित्साधिकारी दिनांक 12.02.2026 की रात्रि तक प्रशिक्षण स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
4. प्रत्येक प्रतिभागी की प्रतिदिन की उपस्थिति दर्ज की जायेगी व प्रशिक्षण अवधि किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
5. प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षु को कार्यक्रम स्थल पर ही रात्रि निवास करना अनिवार्य होगा एवं परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को कार्यक्रम स्थल पर लाने एवं ठहराने की अनुमति नहीं होगी।
6. प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी दिनांक 12.02.2026 को अपराह्न 04:00 बजे से चैक-इन कर सकेंगे व रात्रि 09:30 बजे से पूर्व समस्त प्रतिभागी कार्यक्रम स्थल पर अनिवार्य रूप से आरक्षित कक्ष में चैक इन करेंगे।
7. सम्बन्धित प्रतिभागी हेतु चैक इन दिवस (दिनांक 12.02.2026) के डिनर एवं प्रशिक्षण दिवसों के भोजन की व्यवस्था निदेशालय स्तर से की जायेगी व सम्बन्धित प्रतिभागी हेतु चैक आउट के दिवस दिनांक 15.02.2025 की जलपान की व्यवस्था निदेशालय स्तर से नहीं की जायेगी।
8. उक्त के अतिरिक्त प्रशिक्षण स्थल पर किसी भी प्रकार के भोजन आदि पर किये गये व्यय का भुगतान प्रतिभागी द्वारा स्वयं किया जायेगा।
9. प्रशिक्षण स्थल पर प्रतिभागी **twin sharing** आधार पर निवासरत रहेंगे।
10. प्रशिक्षण में प्रतिभाग किये जाने हेतु किसी भी प्रकार का डी0ए0 एवं प्रवास भत्ता देय नहीं होगा।